

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक— / विस/स्था/2022

रायपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के आदेश पृ. क्रमांक -314/विस/स्था/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2022 के द्वारा विधान सभा सचिवालय के कार्य संचालन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2020/1-5 दिनांक 11.1.2022 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं :-

1. कोरोना के फैलाव की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से संबंधित असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी अपने निवास से Wrok From Home से कार्य कर सकेंगे ।
2. जिस दिन जिन कर्मचारियों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी नहीं हैं वे Wrok From Home से कार्य कर सकेंगे ।
3. Wrok From Home से कार्य करने वाले अधिकारी अपने प्रभारी अधिकारी से अनुमति उपरांत ही Wrok From Home से कार्य कार्य कर सकेंगे और तदनुसार अपने अधीनस्थ स्टॉफ को भी अवगत करायेंगे ।

प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त व्यवस्था से शासकीय कार्य/समितियों की बैठकों आदि का कार्य प्रभावित न हो । उक्त व्यवस्था 18 जनवरी से 22 जनवरी, 2022 तक के लिए प्रभावशील रहेगी ।

आदेश से,

हस्ता./—

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक — 469/विस/स्था/2022
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2022

1. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. सर्वर कक्ष ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा